सं. 26-16/2017-डीडी-III

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

*****

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
दिनांक : 08.10.2020

परिपत्र

विषय :- स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास में चेयरपर्सन की नियुक्ति.

स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता न्यास अधिनियम 1999 (इसके पश्चात्, "अधिनियम") की धारा 3 (1) के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इस न्यास में 22 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन द्वारा की जाती है।

2. अधिनियम की धारा 10 में दिए गए अनुसार न्यास के उद्देश्य हैं:

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथासंभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और इसके यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना;

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना;

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता देना;

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढ़ना;

(v) दिव्यांगजनों के माता-पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना;

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरूरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना;

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के सरंक्षण और पूर्ण भागीदारों की प्राप्ति को सुकर बनाना; और

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्य जो पूर्वाक्त उद्देश्यों के लिए आनुषंगिक हो.

3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास की शक्तियां और कर्तव्य: समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय न्यास नियमों के अनुसार ।

4. अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, सभी सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यास के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दिए गए प्रयोजन के अनुसार इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संबंध में कार्य करने अथवा कार्य करने के आशय से काम करने पर उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में माना जाएगा।

5. **अधिनियम की धारा 4 के अनुसार नियुक्ति का कार्यकाल:** नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष ।

6. **चेयरपर्सन का वेतन और भत्ते:** राष्ट्रीय न्यास नियम 2000 के नियम 4 और 5 के अनुसार, चेयरपर्सन का वेतन भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन के बराबर होगा। महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता का भुगतान भारत सरकार के सचिव के लिए लागू नियमो के अनुसार किया जाएगा। बशर्ते कि जहां चेयरपर्सन केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा अर्धसरकारी निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा अन्य स्वायत्त अथवा सांविधिक निकाय से सेवानिवृत्त है, तो उसे पेंशन अथवा समापनीय (टर्मिनेबल) लाभों के पेंशन संबंधी मूल्य अथवा दोनों समेत भुगतान किए जाने वाला वेतन, भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन से अधिक नहीं होगा।

7. **आयु सीमा:** आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. **पात्रता:**

8.1 अधिनियम की धारा 3 (4) (क) के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ और अनुभव प्राप्त व्यक्ति होगा ।

8.2 **शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव:**

बोर्ड के चेयरपर्सन के लिए शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव: बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं और अनुभव होने चाहिए, नामतः:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री:

बशर्ते कि निम्नलिखित योग्यता वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी:

(क) दिव्यांगता या समुदाय आधारित दिव्यांगता पुनर्वास के एक या एक से अधिक क्षेत्र नामतः, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु दिव्यांगताओं में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री, या इन क्षेत्रों में कोई अन्य समकक्ष योग्यता जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा भारतीय पुनर्वास परिषद में एक कार्मिक या पेशेवर के रूप में पंजीकृत हो; अथवा

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ दिव्यांगता या समुदाय आधारित दिव्यांगता पुनर्वास के एक या एक से अधिक क्षेत्र नामतः, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु दिव्यांगताओं में डिग्री या डिप्लोमा, या इन क्षेत्रों में कोई अन्य समकक्ष योग्यता जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा भारतीय पुनर्वास परिषद में एक कार्मिक या पेशेवर के रूप में पंजीकृत हो; अथवा

(ग) किसी भी प्रतिष्ठित पेशेवर पत्रिका में उनके शोध पत्र प्रकाशित हुए हों; और

(i) दिव्यांगता के क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम सात वर्ष का अनुभव स्वलीनता या प्रमस्तिष्क घात या मानसिक मंदता या बहु दिव्यांगताओं में होना चाहिए; और

(ii) किसी भी गैर सरकारी संगठन जो स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता या बहु दिव्यांगताओं के क्षेत्रों में कम से कम दस वर्षों से सेवा कर रहा हो, में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चेयरपर्सन या अध्यक्ष या महासचिव के रूप में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

9. **आवेदन प्रक्रिया:**

(i) उपर्युक्त पैरा 7 और 8 में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन श्री सीताराम यादव, उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नंबर 523, 5वां तल, बी-2, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 को भेज सकते हैं। आवेदन पत्र वेबसाइट- www.disabilityaffairs.gov.in (प्रकाशन - डाउनलोड फॉर्म) से डाउनलोड किया जा सकता है।

*****

स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड में चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रोफार्मा

1. (क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) :

(ख) पता:

(ग) दूरभाष सं.:..... (का.)..... (आ,) ..... (मो.)

(घ) फैक्स नं.:

(ङ) ई-मेल पता:

2. जन्म तिथि:

3. (क) शैक्षिक और अन्य योग्यताएं:

उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण /पूरा करने का वष	संस्थान	अंक का प्रतिशत/ ग्रेड	प्रमुख विषय

(ख) प्रकाशित शोध पत्र (संक्षिप्त विवरण दें) :

शोध पत्र का शीर्षक	पत्रिका (जर्नल) का नाम	क्या रेफर किया गया (संदर्भित) था	किस अंक में प्रकाशित किया गया

4. अनुभव का विवरण:

कार्यालय/संगठन	संगठन प्रकृति	संगठन गतिविधियां	वेतनमान/समेकित वेतन के साथ धारित पद	सेवा की अवधि ..... से ..... तक	नियुक्ति की प्रकृति- नियमित/तदर्थ/प्रतिनियुक्ति/मानद	कर्तव्य/ कार्य का विवरण

5. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका उल्लेख आप अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में करना चाहते हैं।

6. क्या एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांग श्रेणी से संबंधित हैं:

7. संदर्भ के लिए दो व्यक्तियों का नाम, पता और टेलीफोन नं, जिनसे आवेदन के साथ उपलब्ध कराई गई सूचना/दस्तावेज अपर्याप्त होने की स्थिति में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

8. संलग्न दस्तावेजों की संख्या:

दिनांक:
स्थान:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पत्राचार के लिए पूर्ण पते के साथ